

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



सन्दर्भ संख्या एस.जे.एम.वि. / सम्ब. / 29/61 / 2017

बल्लभपुर छ
KALYANPUR, KA

दिनांक : ०९/१५/१८

सम्बद्धता-आदेश

उम्प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथात्तरोदित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय टिक्टोड चैरिटी अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 तिथि 2014) की घारा-37(2) के बन्तर्गत चच्चे स्तरीय सम्बद्धता की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद की अनुमति ते गौसिया यूनानी नेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, कर्नारीपुर देवमई, फतेहपुर को बी०य०ए०स०प० पाठ्यक्रम (६० जीटी) में स्ववित्तपार्षित योजनान्तर्गत सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शासन द्वारा निर्वाचित फीस की घनराशि ही छात्रों ते लेगी तथा नेडिकल कालेज में प्रवेश के स्वतन्त्र/विविध सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्दशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उम्प्र० लखनऊ को प्रवेशित द्वारा दिशा-निर्दशों का तृप्ति नियमानुसार उनके द्वारा निर्वाचित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना तथा इस समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०स०जी०ई०ए०/नेडिकल कार्यालय आफ इन्डिया के द्वारा दिशा-निर्दशों के अनुपालन के जाथ निर्वाचित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था प्रदेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुचनाएं शासनादेशों के अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश ने वर्जित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उम्प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापत्ति दिलये जाने की कार्यवाही नियन्त्रित की जायेगी।
6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथात्तरोदित) के अनुग्रह द्वारा दिशा-निर्दशक सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात् वीजनान्त्रित पाठ्यक्रम से प्रवृत्ति लिया जायेगा।
7. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अहं एवं अनुनादित शिक्षकों का उपलब्धता निर्वाचित सुनिश्चित की जायेगी।

(राज्य चन्द्र अस्त्वी)
कुलचारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अप्रश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक/सचिव, गौसिया यूनानी नेडिकल कालेज-एवं चिकित्सालय, कर्नारीपुर देवमई, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में लिये गए शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा महाति एवं होत्यारोधी विनाय, ए-टेक्नो रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इन्डीट्पूशनल एरिया, लालकपुर, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उम्प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उम्प्र० लखनऊ।
6. परीक्षा नियन्त्रक, सी०ए०ज०ज०ए०विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी०ए०ज०ज०ए०विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. सिस्टम मैनेजर, सी०ए०ज०ज०ए०विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०ए०ज०ज०ए०विश्वविद्यालय, कानपुर।

(राज्य चन्द्र अस्त्वी)